

छुट्टी (अवकाश) के आवेदन का प्रारूप (फॉर्म)
FORM OF APPLICATION FOR LEAVE
 (अनुपूरक नियम 216 देखिए/See supplementary rule 216)

1. प्रार्थी का नाम/Name of applicant
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
Leave rule as applicable
3. पद/Post held
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
Department, office and section
5. वेतन/Pay
6. वर्तमान पद पर मिलनेवाला मकान किराया भत्ता,
सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकारी भत्ते।
House rent allowance, conveyance allowance
or other compensatory allowances drawn in the present post
7. मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू
होने की तारीख/Nature and period of leave
applied for and date from which required.
8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें
छुट्टी में पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं/Sunday and holidays,
if any proposed to be prefixed/suffixed to leave.
9. छुट्टी का कारण/Ground on which leave is applied for
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और
छुट्टी की किस्म तथा अवधि/Date of return from last leave
and the nature and period of that leave.
11. मेरा विचार आगामी छुट्टी मेंके खंड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की सुविधा लेने का है/नहीं है। ।
propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the block
year.....during the ensuing leave.
12. (क) मैं वचन देता/देती हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए छुट्टी वेतन और आधे औसत
वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अंतर की उस राशि को वापस कर दूंगा/दूँगी जो छुट्टी की
समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवानिवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81(ख)(ii) संसोधित छुट्टी
नियमावली, 1963 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होती।
(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average
pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave which
would not have been admissible had the provision to F.R.81(b)(ii) rule 11(c)(iii) revised leave

rules,1933 of the service to the end or during the currency of the leave in the event of my retirement.

13. (क) मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्यागपत्र देने तक यदि कम स कम आधे वेतन कि उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो मैं, अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम 81(ग)/संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11(घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा/दूँगी।

(a) I undertake to refund the leave salary drawn during "leave not due" which would not have been admissible had F.R.81(c)/rule 11(d) of the revised leave rules 1933 not been applied in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave "not due" availed of by me.

.....
प्रार्थी के हस्ताक्षर/Signature of the applicant

दिनांक/Date.....

14. नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी/अनुशंसा

Remarks/recommendation of the controlling officer.

हस्ताक्षर/Signature.....

पदनाम/Designation.....

दिनांक/Date.....

छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

(राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में महालेखाकार द्वारा)

(By Accountant General in the case of gazetted officer)

15. प्रमाणित किया जाता है

कि.....से.....

तक.....दिन के लिए.....नियमावली के नियम
.....के अधीन.....(छुट्टी कि किस्म) अनुमत्य है।

Certified that.....(nature of leave) for.....

from.....to.....admissible under rule.....of

the.....Rules.

हस्ताक्षर/Signature.....

पदनाम/Designation.....

दिनांक/Date.....

16. स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश

Orders of the sanctioning authority

हस्ताक्षर/Signature.....

पदनाम/Designation.....

दिनांक/Date.....

*यदि प्रार्थी कोई प्रतिकारी भत्ता ले रहा हो स्वीकृति देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी की समाप्ती के बाद उसके उसी पद पर लौटने की संभावना है या किसी अन्य पद पर जहां समान भत्ता मिलता हो।

*If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.